राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी,सी–स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर–16)

क्रमांकः मॉ.प्र./डीएलबी/ई–गवर्नेन्स/ 5512–5724 **दिनांकः–** 20.11.2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः– नगरीय निकायों की सेवाओं की ऑनलाईन सॉफ्टवेयर (मॉड्यूल) को आमजन के लिए लागू किये जाने बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांक मॉ.प्र./डी.एल.बी./ई–गवर्नेन्स/5257–5469 दिनांक 05.11.2020 के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरीय निकायों की भवन मानचित्र अनुमोदन (BPAS) एवं ट्रेड लाईसेन्स के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर को विभाग द्वारा विकसित कराया जाकर दिनांक 05.11.2020 से ऑनलाईन लागू किया जा चुका है। इसी क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा नगरीय निकायों की सेवाऐं क्रमशः **फॉयर एनओसी, सीवर कनेक्शन एवं 90–ए भू–रूपान्तरण** के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर (Modual) को विकसित किया जाकर ऑनलाईन कर दिया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर तत्काल आज से ही नगरीय निकायों में ऑनलाईन लागू किया जाता है।

उक्त सभी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर लागू होने के कारण EODB/DLBRAP के नोर्म्स की पालना हेतु ऑफलाईन के स्थान पर ऑनलाईन क्रियान्विति किया जाना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में आमजन तक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर की जानकारी पहुँचाने के लिए नगरीय निकाय की वेबसाईट पर इसकी सूचना एवं ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का लिंक अपलोड करते हुये नगरीय निकाय के सूचना पट्ट पर भी जानकारी अंकित कराते हुये आमजन को अवगत करावें साथ ही उक्त ऑनलाईन सेवाऐं प्रदत्त करना सुनिश्चित करें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः मॉ.प्र./डीएलबी/ई–गवर्नेन्स/ 5725–5734 **दिनांकः–** 20.11.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
4. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त निदेशक